न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 209/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

चोलामण्डलम इनवेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **संदीप कुमार**

पंजीकृत कार्यालयः– प्रथम तल, डेयर हाउस नम्बर 02, एन.एस.सी. बॉस रोड़, पैरीज, चेन्नई–600001

कॉर्पोरेट कार्यालयः– "चौला क्रेस्ट", सी–54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू–वी–का (Thiru-Vi-Ka), इंडस्ट्रीज एस्टेट (Industries Estate), गिंडी (Guindy), चैन्नई–600032

जयपुर शाखा कार्यालयः– पांचवा एवं छठा तल, प्लॉट संख्या 306, 308 एवं 309, गौम्स डिफेंस कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान 302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **नरसीलाल पुत्र नारायणराम नायक,** 85, वार्ड संख्या 36, बसंत विहार, मौहल्ला नायकों का, सीकर, राजस्थान–302001
2. **रमेश कुमार पुत्र नरसीलाल,** बसंत विहार, मौहल्ला नायकों का, सीकर, राजस्थान–302001
3. **परमेश्वरी पत्नि नरसीलाल,** बसंत विहार, वार्ड संख्या 19, नथवतपुरा, मौहल्ला नायकों का, सीकर, राजस्थान–302001
4. **किरन कंस्ट्रक्शन्स प्रोपराईटर नरसीलाल,** 85, वार्ड संख्या 36, बसंत विहार, मौहल्ला नायकों का, सीकर, राजस्थान–302001
5. **अजय कुमार पुत्र नरसीलाल,** 85, वार्ड संख्या 36, बसंत विहार, मौहल्ला नायकों का, सीकर, राजस्थान–302001
6. **धनपति रमेश पत्नि रमेश कुमार नायक,** वार्ड संख्या 37, सीकर रोड़, सीकर, राजस्थान–302021

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 25 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **नरसीलाल पुत्र नारायणराम नायक, रमेश कुमार पुत्र नरसीलाल, परमेश्वरी पत्नि नरसीलाल, किरन कंस्ट्रक्शन्स प्रोपराईटर नरसीलाल, अजय कुमार पुत्र नरसीलाल** एवं **धनपति रमेश पत्नि रमेश कुमार नायक** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **नरसीलाल एवं परमेश्वरी** के स्वामित्व की बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 4690, वार्ड नं. 47, नायकान मौहल्ला, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 311.83 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रामअवतार का मकान, पश्चिम दिशा में भागीरथ का मकान, उत्तर दिशा में प्लॉट की दीवार एवं दक्षिण दिशा में द पब्लिक स्क्वायर स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹15,00,000/–(अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.06.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.06.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **नरसीलाल पुत्र नारायणराम नायक, रमेश कुमार पुत्र नरसीलाल, परमेश्वरी पत्नि नरसीलाल, किरन कंस्ट्रक्शन्स प्रोपराईटर नरसीलाल, अजय कुमार पुत्र नरसीलाल** एवं **धनपति रमेश पत्नि रमेश कुमार नायक** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **नरसीलाल एवं परमेश्वरी** के स्वामित्व की बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 4690, वार्ड नं. 47, नायकान मौहल्ला, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 311.83 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रामअवतार का मकान, पश्चिम दिशा में भागीरथ का मकान, उत्तर दिशा में प्लॉट की दीवार एवं दक्षिण दिशा में द पब्लिक स्क्वायर स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **25 नवम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)